

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवार्यें राज० जयपुर

क्रमांक : प्रशि०/जी.एन.एम./जी-88/2011/2180

दिनांक : 28.11.2011

-विज्ञप्ति-

जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी प्रशिक्षण कोर्स 2011-12 में प्रवेश हेतु
तृतीय काउन्सलिंग कार्यक्रम

जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2011-2012 में प्रवेश हेतु द्वितीय काउन्सलिंग के बाद रिक्त रही सीटों पर प्रवेश के लिए तृतीय काउन्सलिंग हेतु निम्न श्रेणी/वर्ग के सम्मुख अंकित प्राप्तांक प्रतिशत तक के अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेजों तथा राजकीय नर्सिंग स्कूल्स में प्रवेश की स्थिति में 180/- व निजी नर्सिंग स्कूल्स में प्रवेश की स्थिति में 10,000/- का डीडी जो रजिस्ट्रार राजस्थान नर्सिंग कौंसिल जयपुर के नाम देय हो, सहित प्रशिक्षण केन्द्र आवंटन हेतु चयन समिति के सम्मुख राजस्थान नर्सिंग कौंसिल भवन, बी-39 सरदार पटेल मार्ग, सी स्कीम, जयपुर के यहाँ निम्नानुसार उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाता है :-

राजकीय/निजी नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश हेतु

क्र. सं.	श्रेणी/वर्ग	प्राप्तांक प्रतिशत	दिनांक प्रातः 9:00 बजे
1	महिला व पुरुष विकलांग एवं विभागीय सेवारत कर्मचारी	बायलोजी विषय ग्रुप एवं अन्य विषय ग्रुप अ.जा.अ.ज.जा/टीएसपी-एससी/टीएसपी-एसटी/सहरिया 35.000% तथा सामा./ओ.बी.सी/एसबीसी श्रेणी के 40.000% तक प्राप्तांको के समस्त विकलांग/सेवारत महिला एवं पुरुष अभ्यर्थी	12.12.2011
2.	सामान्य महिला अ.जा., अ.ज.जा, अ.पि.व, वि.पि.व टी.एस.पी.-एस.सी. टी.एस.पी.-एस.टी. सहरिया एवं सामान्य	बायलोजी विषय ग्रुप 68.154 प्राप्तांक प्रतिशत तक के अ.जा. , अ.ज.जा, अ.पि.व, वि.पि.व टी.एस.पी.-एस.सी. टी.एस.पी.-एस.टी./सहरिया एवं सामान्य महिला अभ्यर्थी	12.12.2011
3.	अ.जा. महिला, महिला (टीएसपी-एससी सहित)	बायलोजी विषय ग्रुप 62.615% तक के समस्त अ.जा.(टीएसपी एससी सहित) महिला अभ्यर्थी	12.12.2011
4	अनुसूचित जनजाति महिला (टीएसपी-एसटी सहित)	बायलोजी विषय ग्रुप 53.846% तक के समस्त अ.ज.जा.(टीएसपी एसटी सहित) महिला अभ्यर्थी	12.12.2011
5	ओबीसी/एसबीसी महिला	बायलोजी विषय ग्रुप 68.154 प्राप्तांक प्रतिशत तक ओबीसी/एसबीसी महिला अभ्यर्थी	12.12.2011
6	एसबीसी महिला	बायलोजी विषय ग्रुप 65.231 प्राप्तांक प्रतिशत तक एसबीसी महिला अभ्यर्थी	12.12.2011
7	सामान्य पुरुष अ.जा., अ.ज.जा, अ.पि.व, वि.पि.व टी.एस.पी.(एस.सी) टी.एस.पी. (एस.टी.) सहरिया एवं सामान्य,	बायलोजी विषय ग्रुप 74.615% तक प्राप्तांको के अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व., वि.पि.व., टीएसपी-एस.सी. ,टीएसपी-एसटी सहित सामान्य वर्ग के समस्त पुरुष अभ्यर्थी।	12.12.2011
8	अ.जा. पुरुष (टीएसपी-एससी सहित)	बायलोजी विषय ग्रुप 73.692% तक के समस्त अ.जा.(टीएसपी एससी सहित) पुरुष अभ्यर्थी	12.12.2011
9	अ.ज.जा. पुरुष (टीएसपी-एस.टी. सहित)	बायलोजी विषय ग्रुप 69.538% तक के समस्त अ.ज.जा. (टीएसपी एस.टी. सहित) पुरुष अभ्यर्थी	12.12.2011
10	ओबीसी/एसबीसी पुरुष	बायलोजी विषय ग्रुप 74.308% तक के समस्त ओबीसी/एसबीसी पुरुष अभ्यर्थी	12.12.2011
11	एसबीसी पुरुष	बायलोजी विषय ग्रुप 73.000% तक के समस्त एसबीसी पुरुष अभ्यर्थी	12.12.2011

निजी नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश हेतु			
क्र. सं.	श्रेणी/वर्ग	प्राप्तांक प्रतिशत	दिनांक प्रातः 9:00 बजे
12	सामान्य महिला (अ.जा., अ.ज.जा, अ.पि.व, वि.पि.व, टी.एस.पी.(एस.सी), टी.एस.पी.(एस.टी.) एवं सामान्य अन्य विषय ग्रुप 40% तक उपरोक्त महिला संवर्गों की पात्र महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में रिक्त रहने वाली सीटों को सामान्य पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।	बायलोजी विषय ग्रुप में 40.000% प्राप्तांक तक के सामान्य/अ.पि.वर्ग. तथा वि.पि.वर्ग एवं बायलोजी विषय ग्रुप में 35% प्राप्तांक प्रतिशत के अनुसूचित जाति (टी.एस.पी. एस.सी. सहित)/अनु.जन.जा. (टी.एस.पी. एस.टी. व सहरिया सहित) महिला अभ्यर्थी और अन्य विषय ग्रुप 40% तक प्राप्तांको के अ.जा., अ.ज.जा. , अ.पि.व./ वि.पि.व. टीएसपी-एससी, टीएसपी-एसटी सहित सामान्य महिला अभ्यर्थी। तथा बायलोजी विषय ग्रुप 40% तक प्राप्तांको के अ.जा., अ.ज.जा. ; अ.पि.व./ वि.पि.व. टीएसपी-एससी, टीएसपी-एसटी सहित सामान्य पुरुष अभ्यर्थी।	12.12.2011
13	अ.जा. महिला टीएसपी एससी सहित	अन्य विषय ग्रुप 35.000% तक के अ.जा. महिला टीएसपी एससी सहित महिला अभ्यर्थी तथा 35.000% तक के टीएसपी एससी महिला अभ्यर्थी	13.12.2011
14	अनु.ज.जा. महिला टीएसपी एसटी, सहरिया सहित	अन्य विषय ग्रुप में 35.000% तक प्राप्तांको के अ.ज.जा. टीएसपी एसटी सहित महिला अभ्यर्थी एवं अन्य विषय ग्रुप 35.000% तक प्राप्तांको के टीएसपी एसटी महिला अभ्यर्थी तथा 35.000% प्राप्तांक तक सहरिया महिला अभ्यर्थी।	13.12.2011
15	अ.पि.व. एवं वि.पि.व. महिला	अन्य विषय ग्रुप 40.000% तक प्राप्तांको के अ.पि.व. एवं वि.पि.व. महिला अभ्यर्थी।	13.12.2011
16	सामान्य पुरुष अ.जा., अ.ज.जा, अ.पि.व वि.पि.व टी.एस.पी. (एस.सी.), टी.एस.पी. (एस.टी.) एवं सामान्य।	अन्य विषय ग्रुप 74.000% तक प्राप्तांको के अ.जा., टीएसपी-एससी/अ.ज.जा, टीएसपी-एसटी अ.पि.व., वि.पि.व. सहित सामान्य वर्ग के समस्त पुरुष अभ्यर्थी।	13.12.2011
17	पुरुष अनुसूचित जाति टीएसपी (एससी) सहित	अन्य विषय ग्रुप 69.692% तक प्राप्तांको के अ.जा., पुरुष अभ्यर्थी।	13.12.2011
18	पुरुष अनुसूचित जनजाति टीएसपी (एसटी) सहित	अन्य विषय ग्रुप 70.000% तक प्राप्तांको के अ.ज.जा टीएसपी-एसटी सहित पुरुष अभ्यर्थी तथा अन्य विषय ग्रुप 66.308% तक के टीएसपी-एसटी अभ्यर्थी।	13.12.2011
19	पुरुष ओबीसी/एसबीसी वर्ग	अन्य विषय ग्रुप 70.000% तक प्राप्तांको के ओबीसी एसबीसी सहित पुरुष अभ्यर्थी तथा अन्य विषय ग्रुप 68.923% तक प्राप्तांको के एसबीसी पुरुष अभ्यर्थी।	13.12.2011

40% या इससे अधिक विकलांगता प्राप्त अभ्यर्थी (वन लेग अर्थात केवल एक पैर से विकलांग) ही पात्र है। अन्य विच्छा वर्ग /विशेष पिछड़ा वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र छः माह से अधिक अवधि का नहीं होना चाहिए। आरक्षित वर्ग के महिला अभ्यर्थी के पिता का नाम का जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, पति के नाम का नहीं।

राजकीय प्रशिक्षण केन्द्रों में उक्त तालिका में दर्शित प्राप्तांक प्रतिशत तक प्रथम काउन्सलिंग में चयनित अभ्यर्थियों से उपर के प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी जो अनुपस्थित रहे हो या आवंटन हो जाने के बाद ज्वाइन नहीं किया हो या किसी केन्द्र विशेष के लिए प्रतिका सूची का द्वितीय काउन्सलिंग में विकल्प दिया हो ऐसे अभ्यर्थी ही तृतीय काउन्सलिंग में उपस्थित हों। इसी प्रकार निजी प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश के लिए उपरोक्त प्राप्तांक प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक वाले ऐसे

अभ्यर्थी भी जो प्रथम/द्वितीय काउन्सलिंग में अनुपस्थित रहे हो या आवंटित केन्द्र पर ज्वाइन नहीं किया हो या किसी केन्द्र विशेष के लिए विकल्प दिया हो, तृतीय काउन्सलिंग में प्रवेश पा सकेंगे।

राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 16.01.91 के नियम 8 (5) के अनुसार जीएनएम प्रशिक्षण केन्द्र परिवर्तन पर पूर्ण प्रतिबंध है और अभ्यर्थी को प्रवेशित संस्थान पर ही प्रशिक्षण पूर्ण करना आवश्यक है। अतः प्रथम एवं द्वितीय काउन्सलिंग में प्रवेशित जिन अभ्यर्थियों ने अपने आवंटित राजकीय/निजी केन्द्रों पर ज्वाइन कर लिया है उन्हें तृतीय काउन्सलिंग में अनुमति देय नहीं होगी। अतः ऐसे अभ्यर्थी तृतीय काउन्सलिंग में उपस्थित नहीं होंगे।

राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेशित अभ्यर्थी को निर्धारित रू० 180/-के डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं निजी प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेशित अभ्यर्थी को निर्धारित 10000/-रू० के डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल जयपुर के नाम देय होंगे, के साथ मौके पर अपने मूल शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। निजी प्रशिक्षण केन्द्र के लिये फीस राशि 38,000/-रू० में से शेष राशि 28,000/-रू० प्रवेशित संस्थान पर अभ्यर्थी को उपस्थिति देते समय जमा कराकर अपने मूल शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेज सत्यापन हेतु जमा करवाने अनिवार्य होंगे।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशिका/दिशा निर्देशों में जिन शिक्षा बोर्ड/संस्थान/परीक्षा को समकक्ष मान्यता नहीं है, ऐसे शिक्षा बोर्ड/संस्थान से प्राप्त शैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यर्थी चयन के पात्र नहीं हैं। इसलिये काउन्सलिंग में उपस्थित नहीं होंगे।

राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूल्स में प्रवेश हेतु निर्धारित राजकीय कोटे की सीटों की संख्या के 7 गुणा अभ्यर्थियों को उक्त काउन्सलिंग हेतु बुलाया गया है। अतः आवश्यक नहीं है कि बुलाये गये सभी अभ्यर्थियों का चयन होना संभव हो। राजकीय प्रशिक्षण केन्द्रों की किसी भी श्रेणी/वर्ग में सीटें भरते ही या अभ्यर्थी द्वारा चाहने पर उच्च मेरिट वाले अभ्यर्थी को निजी प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश हेतु काउन्सलिंग शुरू कर दी जावेगी। काउन्सलिंग में आने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।

(बी०के० दोसी)

अति० निदेशक (प्रशि०)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राज० जयपुर